संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
छत्तीसगढ

विभागाध्यक्ष कार्यालय ब्लॉक–1, इन्द्रावती भवन, तृतीय तल, नया रायपुर

क्रमांक/03/एफ 01–37/नर्सिंग/2018/586 नया रायपुर दिनांक 12/07/2018

प्रति,

समस्त संभागीय संयुक्त संचालक,
स्वास्थ्य सेवायें, छत्तीसगढ़।

विषय :– संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, छ.ग. के अधीन संस्थाओं में कार्यरत स्टॉफ नर्सो की दिनाँक 01.04.2017 की स्थिति में अनन्तिम (प्रोविजनल) पदक्रम सूची का प्रकाशन के संबंध में।

//00//

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, छत्तीसगढ़ के अंतर्गत प्रदेश की विभिन्न स्वास्थ्य संस्थाओं में स्टॉफ नर्स पद वेतनमान रूपये 5200–20200 ग्रेड वेतन रूपये 2800 में कार्यरत नर्सिंग कर्मचारियों की दिनाँक 01.04.2017 की स्थिति दर्शाने वाली अनन्तिम (प्रोवीजनल) पदक्रम सूची का प्रकाशन संलग्न सूची अनुसार किया जा रहा है।

आपसे अपेक्षा है कि आपके जिला अंतर्गत संबंधित सेवा संवर्ग में कार्यरत प्रत्येक कर्मचारियों को इस सूची की प्रति उपलब्ध कराते हुए सूची में संबंधित कर्मचारियों के संबंध में दर्ज प्रविष्टियों में यदि कोई विसंगति या किसी कर्मचारी का नाम सम्मिलित होने से छूट गया है, तो ऐसी स्थिति में दर्ज विसंगतियों के सुधार या सूची में दर्ज होने से छूटे नाम को जोड़ने हेतु स–प्रमाण एवं स्वयं स्पष्ट तथा टंकित/कम्प्यूटराईज अभ्यावेदन सूची के प्रकाशन की तिथि से **15 दिवस के अंदर दो प्रतियों** में संबंधित से तैयार कराते हुए, एक प्रति संयुक्त संचालक (नर्सिंग) संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, इन्द्रावती भवन नया रापुर छ.ग. के नाम से निम्नानुसार प्रस्तुत की जावें।

1. किसी कर्मचारी द्वारा यदि स्वयं के पदक्रम सूची में किसी प्रकार के सुधार किये जाने हेतु अभ्यावेदन प्रस्तुत किया जाता है तो, उक्ताशय की पुष्टि उसके सेवा अभिलेख से करते हुए एकजाई सुधार प्रस्ताव तैयार कर संबंधित जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के माध्यम से प्राप्त कर अपनी अनुशंसा सहित प्रस्ताव इस कार्यालय को प्रेषित करें।

2. संचालनालय को एकजाई सुधार प्रस्ताव उपलब्ध कराते समय ध्यान रखा जावे कि सेवा संवर्ग की प्रकाशित की जा रही सूची में यदि संबंधित के नाम के सम्मुख कोई प्रविष्टी दर्ज होने से रह गई/कार्यरत कर्मचारी में से किसी कर्मचारी का नाम दर्ज होने से रह गया है अथवा दर्ज कर्मचारियों के नाम में कोई कर्मचारी सेवानिवृत्त/त्यागपत्र/ऐच्छिक सेवा निवृत्ति/पदोन्नति अथवा अन्य किसी कारण से वर्तमान में कार्यरत नहीं रह गया है, तो ऐसे कर्मचारियों के संबंध में संक्षिप्त स्थिति दर्शाते हुए आवश्यक सुधार सुझाव के साथ प्रस्ताव निर्धारत समय सीमा में तैयार कर उपलब्ध कराया जावें।

3. यदि कोई कर्मचारी 03 माह से अधिक अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित है अथवा किसी कर्मचारी के विरूद्ध विभागीय जांच/अपराधिक प्रकरण/आर्थिक अपराध ब्यूरो में प्रकरण दर्ज हो तो उसकी जानकारी संबंधित के नाम के आगे रिमार्क कॉलम में निश्चित रूप से अंकित किया जाना सुनिश्चित करें।

अतः आपसे अनुरोध है कि संबंधित सेवा संवर्ग की प्रकाशित पदक्रम सूची की प्रति आपके अधीनस्थ सेवा संवर्ग में कार्यरत् प्रत्येक कर्मचारी को उपलब्ध कराने की व्यवस्था सुनिश्चित करें, चाहे संबंधित कर्मचारी का नाम सूची में दर्ज होने से छूट ही क्यों न गया हो। उक्त के साथ यह भी स्पष्ट किया जाता है कि चाहे अनुसार सुधार हेतु निर्धारित समय सीमा में संबंधित द्वारा प्रस्तुत सुधार आवेदन/अभ्यावेदन प्रस्तुत नहीं करने की स्थिति में सेवा संवर्ग की अन्तिम पदक्रम सूची का प्रकाशन कर दिया जायेगा एवं ऐसी स्थिति में सूची में रह जाने वाली किसी भी विसंगति के लिए संबंधित संभाग के संयुक्त संचालक व संबंधित कर्मचारी स्वयं उत्तरदायी होगा।

<u>संलग्नः-उपरोक्तानुसार।</u>
<u>संचालक, स्वास्थ्य द्वारा अनुमोदित।</u>

04/07/18

संयुक्त संचालक (नर्सिंग)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
छत्तीसगढ़

o/c

पृ.क्रमांक/03/एफ 01-37/नर्सिंग/2018/587

नया रायपुर दिनांक 12/07/2018

<u>प्रतिलिपिः-</u>

1. सचिव, स्वास्थ्य एवं परि. कल्याण विभाग, मंत्रालय महानदी भवन, नया रायपुर की ओर सूचनार्थ।
2. आयुक्त स्वास्थ्य सेवायें, स्थानीय कार्यालय।
3. संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, स्थानीय कार्यालय।
4. राज्य कार्यक्रम अधिकारी (प्रशिक्षण शाखा) स्थानीय कार्यालय।
5. रजिस्ट्रार नर्सिंग काउंसलिंग, पुराना नर्सेस हॉस्टल, रायपुर, छ.ग.।
6. समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी/सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक, छ.ग. की ओर की प्रेषित कर लेख है कि अपने अधीनस्थ स्टाफ नर्स की वरिष्ठता सूची संबंधित कर्मचारी को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
7. प्रभारी अधिकारी, सूचना संचार शाखा, स्थानीय कार्यालय की ओर भेजकर लेख है कि इस संबंध में एक प्रेस विज्ञप्ति तैयार कर प्रदेश के कम से कम दो दैनिक समाचार पत्रों में निःशुल्क प्रकाशित कराने की व्यवस्था की जाये ताकि संबंधित कर्मचारी प्रकाशित सूची के प्रकाशन से अवगत होने से साथ प्रकाशित सूची की प्रति अपने जिले के सी.एम.ओ. कार्यालय से प्राप्त कर निर्धारित समय सीमा में अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत कर सकें।
8. संबंधित नर्सिंग कर्मचारीः श्रीमती/कु. .... द्वारा संबंधित मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी की ओर भेजकर लेख हे कि प्रकाशित सूची में दर्ज प्रविष्टियों में यदि कोई विसंगतिपूर्ण प्रविष्टि दर्ज है या आपके नाम के सम्मुख किसी कालम में जानकारी दर्ज होने से शेष रह गई है अथवा आप इस सेवा संवर्ग में नियमित तौर पर मूल धारित पद पर कार्यरत है, परन्तु आपका नाम सूची में दर्ज होने से छूट गया है तो ऐसी स्थिति में त्रुटि सुधार के लिए उल्लेखानुसार दो प्रतियों में सुधार हेतु अपना अभ्यावेदन तैयार कर नियत समय सीमा में उपलब्ध करावें।
9. आदेश नस्ती।

04/07/18

संयुक्त संचालक (नर्सिंग)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
छत्तीसगढ़

o/c